दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 24-07-2025

जनहित याचिका • कोर्ट कमिश्नर ने हाई कोर्ट में दी रिपोर्ट, एसईसीएल व एनटीपीसी ने भी दिया शपथ पत्र

हाईवे किनारे शराब दुकानों पर हाई कोर्ट सख्त कहा-कमाई करो, पर जान की कीमत पर नहीं

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, नेशनल हाईवे किनारे चल रही शराब दुकान, ढाबा और गाड़ियों से उड़ रहे फ्लाई ऐश पर गंभीर चिंता जताई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजे सिन्हा ने तल्ख टिप्पणी की- आप राजस्व कमाते हैं, ये सही है, लेकिन यह किसी व्यक्ति के जीवन की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर सरगांव में सड़क से कुछ मीटर दूर ही शराब दुकान संचालित हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हाईवे या सड़क से 500 मीटर दूर ही शराब दुकान खोली जा सकती है, लेकिन सरगांव की शराब दुकान में इस नियम की अनदेखी कर दी गई है। कोर्ट कमिश्नर एडवोकेट रवींद्र शर्मा ने बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इसकी जानकारी दी। यहां हाईवे किनारे शराब दुकान और ढाबे के संचालन पर सरकार की सफाई से हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। वहीं, एनटीपीसी और एसईसीएल ने पिछले बार दिए गए आदेश के पालन में शपथ पत्र प्रस्तुत किए।

सरगांव की शराब दुकान में नियमों की अनदेखी, सरकार की सफाई से कोर्ट असंतुष्ट

सरगांव में हाईवे के किनारे शराब दुकान है, इससे सड़क के पास भीड़ लगी रहती है।

हाईवे तो बना दी, रोशनी का पर्याप्त इंतजाम नहीं किया

चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा-नेशनल हाईवे पर सड़क तो चट्टान जैसी बना दी गई, लेकिन रोशनी का पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया है। हाईवे सुनसान है, दुर्घटनाओं की रोकथाम नाकाम है। जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि हाईवे शराब दुकान को विस्थापित किया जा रहा है और ढाबा हटाने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने दो टूक कहा- यह गंभीर मामला है, बारिश की आड़ नहीं चलेगी।

कोयला ढोने वाली हर गाड़ी को कवर करना जरूरी, फोटो प्रमाण भी रखें

कोयले की सप्लाई करने वाली गाड़ियों के खुले होने से होने वाली परेशानियों पर भी हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई। कहा कि ट्रांसपोर्टर पर ठीकरा फोड़ने से आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि कोयले की हर गाड़ी को कवर करना अनिवार्य होगा और उसका प्रमाण फोटो के साथ रखना होगा। हाईवे पेट्रोलिंग टीम को निर्देश दिया कि वे हर बेल्ट क्षेत्र में जांच करें और खुले ट्रकों को जब्त किया जाए।

हाई कोर्ट ने पूछा- कानून तोड़ने वालों को संरक्षण क्यों?

कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में बताया गया कि सरगांव में हाईवे से सटी शराब दुकान और ढाबा नियमों के खिलाफ संचालित हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि शराब दुकान 500 मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए, फिर भी नियमों का उल्लंघन क्यों हो रहा है? कानून तोड़ने वालों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है?

ढुलाई करती गाड़ियों से उड़ रहे फ्लाई ऐश पर जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान फ्लाई ऐश की ढुलाई के दौरान गाड़ियों से उड़ने वाली धूल से हो रही परेशानियों की जानकारी दी गई। इसे लेकर दिए गए हलफनामे पर हाई कोर्ट ने कहा- शपथपत्र से साफ है कि फ्लाई ऐश सड़क पर उड़ रही है। यह आम जनता, साइकिल सवारों और यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।" हाई कोर्ट ने इस दिशा में की गई कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।